रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22112022-240453 CG-DL-E-22112022-240453

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5171] No. 5171] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 21, 2022/कार्तिक 30, 1944 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 21, 2022/KARTIKA 30, 1944

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2022

का.आ. 5399(अ).—केंद्रीय सरकार, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खंड (ढ) के पहले परंतुक के उपखंड (iii) के अनुसरण में और भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2821(अ), तारीख 13 जुलाई, 2021 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अतिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, श्री मोईन-उल-हक रफीकी, महाप्रबंधक, इस्पात प्रसंस्करण इकाई, कंदरोई को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सेल प्रसंस्करण इकाई, ग्राम ओर डाकखाना कंदरोई, तहसील इंदोरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, पिन-176402, रजिस्ट्रीकरण सं. एलएंडई (एफएसी)9-2017273-2256 के मामलों का प्रबंध करने के लिए अधिष्ठाता के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 8(16)/2012-सेल-पीसी (जिल्द 3)]

अभिजीत नरेन्द्र, संयुक्त सचिव

7718 GI/2022 (1)

MINISTRY OF STEEL NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2022

S.O. 5399(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of the first proviso to clause (n) of section 2 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Steel number S.O. 2821 (E), dated the 13th July, 2021, published in the Gazette of India. Part II. Section 3, Sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints Shri Moin Ul Haq Rafiqi, General Manager, Steel Processing Unit, Kandrori as occupier to manage the affairs of the SAIL Processing Unit, Village & PO: Kandrori, Tehsil Indora, District Kangra, Himachal Pradesh, Pin-176402, Registration No. L&E (FAC) 9-2017273-2256, for the purposes of the said Act.

[F. No. 8(16)/2012-SAIL-PC (Vol. III)]
ABHIJIT NARENDRA, Jt. Secy.